दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 28 अप्रैल, 2023
उद्घोषित तिथि: 12 मई, 2023

<u>आ.प्र.अ. (वाणि.) 73/2021 व सि.वि.आ. 10320/2021</u>

मैसर्स दिल्ली मार्केटिंग .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री गौरव मिगलानी और श्री पी.डी.वी. श्रीकर, अधिवक्तागण

बनाम

जाइडस वेलनेस लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सी.एम. लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री बिटिका शर्मा, श्री कपिल मिधा, श्री लक्ष्य कौशिक, श्री उत्सव मुखर्जी और सुश्री अनन्या चुग, अधिवक्तागण ।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन
माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. सौरभ बनर्जी</u>

1. अपीलार्थी (मूल वादी) की यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय[1] द्वारा पारित 8 जनवरी, 2023 के आदेश को खारिज करने की मांग करती है, जिसमें प्रत्यर्थी (मूल प्रत्यर्थी) के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908[3] की धारा

151[2] के सहपठित आदेश XXXIX के नियम 1 व 2 के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अपीलार्थी ने 25 दिसंबर, 2015 को इसके गठन के बाद, विभिन्न ब्रांडों के तहत खाद्य तेल, डेयरी और डेयरी उत्पादों, पेय पदार्थों और अन्य सहबद्ध और सजातीय वस्तुओं जैसी तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार का व्यवसाय शुरू किया। क्वॉलिटी लिमिटेड[4], जो यहाँ अपीलार्थी का पूर्ववर्ती है, जो विभिन्न तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के दूध और दूध उत्पादों में व्यापार करता था, वर्ष 2003 से वर्ग 29 उत्पादों के लिए व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" का मालिक था। उक्त पूर्ववर्ती ने, 2016 में समनुदेशन के एक विलेख के माध्यम से, अपीलार्थी को अपनी सद्भावना से व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" सौंपा। इसके बाद, अपीलार्थी ने पूर्ववर्ती को 31 दिसंबर, 2018 तक व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के अनुज्ञा प्राप्त उपयोगकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में नियुक्त किया और फिर एक गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बाद में अनुज्ञा प्राप्त उपयोगकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के रूप में नियुक्त किया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले, हालांकि अपीलार्थी के पूर्ववर्ती ने आवेदन सं. 2739962 के माध्यम से वर्ग 30 में उसी व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के पंजीकरण की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन इसके नामनिर्दिष्ट अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था। चूंकि

अपीलार्थी के 'शुगरलाइट' का कोई विरोधाभासी चिह्न वर्ग 29 या वर्ग 30 में लंबित या पंजीकृत नहीं है प्रत्यर्थी द्वारा उसकी अनुमति के बिना समान और/या सहबद्ध और सजातीय वस्तुओं के संबंध में एक समान और/या भ्रामक रूप से समान व्यापारचिह्न का उपयोग, व्यापारचिह्न अधिनियम, 1999[5] के तहत सामान्य कानून अधिकारों और वैधानिक अधिकारों दोनों के उल्लंघन के समान है।

3. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने अप्रैल 2018 में उक्त व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के समनुदेशन/अनुज्ञप्ति के लिए पूर्ववर्ती के साथ वार्ता शुरू की और इसकी विफलता पर व्यापारचिह्न पंजीकरण के समक्ष आवेदन सं. 3192344 के माध्यम से वर्ग 30 में आक्षेपित चिह्न "शुगरलाइट" के पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जिसने अपनी परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अपीलार्थी के पहले से पंजीकृत व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" का हवाला देते हुए इसके

---

[1] इसके बाद "आक्षेपित आदेश" के रूप में संदर्भित

[2] इसके बाद "अंतरिम आवेदन" के रूप में संदर्भित

[3] अब से "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया जाता है।

पंजीकरण पर आपत्ति जताई। इसके बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के उक्त विवादित चिह्न 'शुगरलाइट' के खिलाफ

[4] इसके बाद "पूर्ववर्ती" के रूप में संदर्भित

5 इसके बाद "टी. एम. अधिनियम" के रूप में संदर्भित

पूर्व-प्रकाशन आपत्तियां दर्ज कीं और प्रत्यर्थी को 12 सितंबर, 2019 को एक प्रतिविरत नोटिस भी जारी किया, जिससे 17 मार्च, 2020 तक पत्रों का आदान-प्रदान हुआ और फिर अंत में स्थायी निषेधाज्ञा, व्यापारचिह्न के उल्लंघन को रोकने, पारित करने, हर्जाने और विद्वत निचली न्यायालय के समक्ष खातों को प्रस्तुत करने के लिए एक वाद दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थी और अन्य लोगों को आक्षेपित चिह्न "शुगरलाइट" या किसी अन्य समान और/या भ्रामक वाद से अपीलार्थी के पंजीकृत व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के समान चिह्न का उपयोग करने से रोकने के लिए उचित राहत की मांग की गई।

4. प्रत्यर्थी ने अपने लिखित बयान में विभिन्न व्यापारचिह्न के तहत स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों में काम करने का तर्क दिया और कहा कि उसने ईमानदारी और सद्भावना से "शुगरलाइट" शब्द गढ़ा था जो पहले से ही पंजीकृत व्यापार चिन्ह "शुगर फ्री" का एक विस्तार था और यह भी कि यह दृष्टि और संरचनात्मक रूप से अपीलार्थी से अलग था और आगे प्रतिस्पर्धा के चिह्न का उपयोग विभिन्न वर्ग के वस्तुओं के लिए किया गया था क्योंकि अपीलार्थी का व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" वर्ग 29 में आने वाले दूध/डेयरी उत्पादों के लिए था जबकि प्रत्यर्थी का विवादित चिह्न "शुगरलाइट" वर्ग 30 में आने वाले शुगर स्वीटनर, शुगर और स्टीविया के मिश्रण के लिए था। इसके अलावा, ***विष्णुदास कुशंदास बनाम ताह वजीर सुल्तान टोबैको लिमिटेड और अन्य***[6] और ***नंदिनी डीलक्स बनाम कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन***

लिमिटेड पर निर्भर प्रत्यर्थी ने कहा कि अपीलार्थी का पूरे वर्ग पर एकाधिकार नहीं हो सकता है और वाद दायर करने में देरी हुई थी।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह दर्ज करने के बाद कि हालांकि बातचीत पक्षों के बीच अमल में नहीं आई, हालांकि, यह माना कि "*प्रत्यर्थी ने वर्ष 2018 में शुगरलाइट चिह्न टंकित किया ... "*, जो कि अपीलार्थी के प्रतिविरोधों से सहमत नहीं थे कि प्रतिस्पर्धी चिह्न भ्रामक रूप से समान थे या कि पक्षकारों कि वस्तुएं सजातीय /सहबद्ध थे या फिर उन्हें एक ही दुकान पर एक ही वर्ग के ग्राहकों को बेचा गया था और एक ही माध्यम द्वारा वितरित किया गया था और यह माना गया था कि प्रतिस्पर्धी चिह्नों का उपयोग पूरी तरह उत्पादों के भिन्न वर्ग के लिए किया गया था। ***नंदिनी (पूर्वोक्त)*** और *नेशनल सिलाई थ्रेड* ***कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैडविक एंड ब्रदर्स*** [8] **, के ,**मामले में विश्वास जताते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने कहा कि न केवल दोनों चिह्नों का दृश्य स्वरूप भिन्न था, बल्कि वे उत्पादों के विभिन्न वर्ग और पार्टियों के व्यापार करने के तरीके से भी संबंधित थे, भ्रम की कोई संभावना नहीं होगी और इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के प्रचार के लिए कभी भी बिक्री या व्यय के आंकड़े नहीं दिए और यह कि व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" व्यापारचिह्न अधिनियम की *धारा 2(जेड.जी.)* के संबंध में एक सुप्रसिद्ध व्यापारचिह्न नहीं था। अंत में, यह मानते हुए कि अपीलार्थी अपने व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के बल पर वस्तुओं

के पूरे वर्ग पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को विलम्ब/लॅच/स्वीकृति का कोई लाभ नहीं दिया।

6. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए दायर की कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अनुपालन करने में गलती की है कि प्रत्यर्थी ने 2018 में आक्षेपित चिह्न *"शुगरलाइट"* को "टंकित" किया और यह भी कि प्रतिस्पर्धी चिह्न भ्रामक रूप से समान नहीं हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धी वस्तुएँ पूरी तरह से अलग नहीं हैं और एक साथ बेचे जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त यह कि प्रतिस्पर्धी चिह्नों का दृश्य स्वरूप भिन्न है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विष्णुदास कुशनदास (पूर्वोक्त) पर निर्भरता गलत है और विभिन्न प्रणाली के बारे में निष्कर्ष निकालना और भ्रम की कोई संभावना नहीं होना गलत है चूंकि वास्तविक परिक्षण यह था कि या तो वस्तुएँ सजातीय और सहबद्ध हैं, न कि उस वर्ग से संबंधित है जिसमें वे आते हैं। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" की बिक्री और व्यय के आंकड़े अप्रासंगिक थे। विशेष रूप से, वर्तमान प्रकृति के वाद में अंतरिम आवेदन पर निर्णय सुनाते समय, चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अतिलंघन के वाद में अपीलार्थी के पूर्व अपनाने वाले और उपयोगकर्ता होने के

कारण प्रासंगिक कारकों को नजरअंदाज कर दिया जिसके पास एक वैध पंजीकरण था। यह भी तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के पूर्ववर्ती के साथ बातचीत के बाद आक्षेपित चिह्न "शुगरलाइट" अपनाया था, यह दिखाने में विफल रहा कि वर्तमान मामले में उसके द्वारा इसे अपनाना सद्भावपूर्ण था और व्यापारचिह्न अधिनियम की धारा 17 से तथ्यों कि कोई प्रासंगिकता नहीं है।

8. *इसके विपरीत*, पूर्ववर्ती और अपीलार्थी के बीच समनुदेशन विलेख दाखिल न करने के आधार पर, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यापारचिह्न "शुगर फ्री" का स्वामी नहीं था और यह कि प्रत्यर्थी ने "शुगरलाइट" शब्द को टंकित, किया था जो इसके पूर्व पंजीकृत व्यापारचिह्न "शुगर फ्री" का विस्तार था और यह कि परस्पर विरोधी चिह्न अलग-अलग होने के कारण वैसे भी विभिन्न वर्ग के वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाते हैं और अपीलार्थी द्वारा वाद शुरू करने में देरी हुई थी ।

9. बाकी दलीलों में अपीलार्थी द्वारा व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" को अप्रामाणिक रूप से अपनाने और उपयोग न करने और प्रत्यर्थी द्वारा व्यापारचिह्न "शुगर डी'लाइट" को पूर्व में अपनाने वाले होने के कारण और व्यापारचिह्न " शुगरलाइट " जो कि प्रत्यर्थी के व्यापारचिह्न " शुगर फ्री "और" न्यूट्रीलाइट "की नक़ल है और प्रत्यर्थी जो कि लाइट एंडिंग व्यापारचिह्न का

मालिक है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही इसकी आवश्यकता है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय की कोई दलीलें नहीं थीं। यह न्यायालय ***जैन शिकंजी (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार जैन*** [9] , ने हाल ही में ऐसा अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बाद के उदाहरण के लिए अपीलीय मंच के समक्ष कार्यवाही कुछ भी नहीं है, बल्कि मूल न्यायालय के समक्ष पहले की कार्यवाही का विस्तार/निरंतरता है, इसलिए इसमें अपीलार्थी जैसे किसी भी पक्ष को अपने मामले में सुधार/निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिविरोध में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, उसे इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

10. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब इस न्यायालय को अवगत कराया कि प्रत्यर्थी ने, आक्षेपित आदेश पारित होने के तीन महीने बाद, वर्तमान अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, अपीलार्थी [10] के पंजीकृत व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" को निकालने/हटाने के लिए व्यापारचिह्न अधिनियम की धारा 57 और 47 के तहत एक याचिका दायर की थी। चूंकि कथित सुधार याचिका हाल ही में आक्षेपित आदेश पारित होने के बाद दायर की गई है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं था। इस प्रकार उक्त सुधार याचिका वर्तमान अपील के निर्णय के प्रयोजनों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं

है। प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब प्रार्थना की कि चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए यह पक्षों के हित में होगा कि वे उन्हें उसके समक्ष खारिज कर दें।

11. प्रत्युत्तर में अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए नए प्रतिविरोधों पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी वर्ग 29 में व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" का अभिलिखित मालिक/पंजीकृत स्वामी है जो अपीलार्थी के नाम पर वैध रूप से अस्तित्व में है और नवीनीकृत है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि स्वीकार्य रूप से, प्रत्यर्थी ने कथित व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के समनुदेशन /लाइसेंस के लिए बातचीत के लिए अपीलार्थी के पूर्ववर्ती से संपर्क किया था और यह कि प्रत्यर्थी ने बातचीत विफल होने के बाद ही आक्षेपित चिह्न "शुगरलाइट" को अपनाया और उसका उपयोग करना शुरू किया। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अनुसार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी अंतरिम निषेधाज्ञा का हकदार था।

12. दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रतिविरोधों के आधार पर, इस न्यायालय ने उन्हें सुनने और विभिन्न दस्तावेजों पर परिशीलन करने और इसमें शामिल कानून पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की है कि चूंकि वर्तमान अपील एक अंतरिम आवेदन से जुड़े एक आक्षेपित आदेश से शुरू होती है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारण की

गुंजाइश तीन बुनियादी परीक्षणों पर आधारित थी, जिसमें *प्रथम दृष्टया* मामला, अपूरणीय क्षति, हानि और चोट और सुविधा का संतुलन शामिल था। इसलिए, इस न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अपीलार्थी उपरोक्त तीन शर्तों को पूरा करने में समर्थ था ताकि उसके पक्ष में और प्रत्यर्थी के खिलाफ मामला बनाया जा सके।

13. तथ्यों से पता चलता है कि स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी वर्ग 29 में वैध और अस्तित्वयुक्त व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" का पंजीकृत मालिक है और प्रत्यर्थी ने इसकी जानकारी होने के बावजूद, उसे चुनौती देने के बजाय अप्रैल 2018 को बातचीत के लिए अपने पूर्ववर्ती से संपर्क किया और उसके बाद बातचीत विफल होने पर, वर्ग 30 में आक्षेपित चिह्न "शुगरलाइट" के पंजीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया, जिस पर अपीलार्थी ने पूर्व-प्रकाशन आपत्तियां दायर कीं। तथ्यों से यह भी पता चलता है कि, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी ने सितंबर 2019 को प्रत्यर्थी को एक प्रतिविरत नोटिस जारी किया जिसके कारण मार्च 2020 तक पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। इस न्यायालय की राय में, उपरोक्त कारक विद्वान विचारण न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त थे कि अपीलार्थी अपने पक्ष में और प्रत्यर्थी के खिलाफ एक प्रथमदृष्टया मामला बनाने में समर्थ था, जिसमें उसके पक्ष में सुविधा के संतुलन के साथ अपूरणीय क्षति, हानि और चोट लगने की संभावना थी। ऐसा

नहीं करने पर , आक्षेपित आदेश में इसके विपरीत निष्कर्षों को दरकिनार किया जा सकता है।

14. तथ्यों से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने अपने पंजीकृत व्यापारचिह्न "शुगर फ्री" के भिन्न प्रकार होने के बावजूद, वर्ग 30 में "शुगरलाइट" को अपनाया, और ऐसा उसने अपीलार्थी के पूर्ववर्ती के साथ बातचीत की विफलता के बाद किया। तथ्यों से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस तरह से अपनाने का कोई विश्वसनीय कारण नहीं दिया है, या तो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष, जहाँ से प्रत्यर्थी ने पहले से मौजूद, तद्रूप समरूपता वाले और भ्रामक निशान को अपनाया जो दृष्टिगत, ध्वन्यात्मक और संरचनात्मक रूप से अपीलार्थी के जानकारी के बावजूद था। इस प्रकार, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि आक्षेपित चिह्न "शुगरलाइट" प्रत्यर्थी द्वारा "टंकित" किया गया था। इस न्यायालय की राय में, प्रत्यर्थी ने पहले से इसके अस्तित्व की पूरी जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अपीलार्थी के पंजीकृत व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के समान चिह्न "शुगरलाइट" को अपनाने में एक बड़ा परिकलित जोखिम उठाया। ऐसा करने पर , प्रत्यर्थी को कुछ ऐसा प्रतिवाद करने से रोक दिया जाता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है।

15. यह न्यायालय भी विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ है कि *"शायद ही यहाँ भ्रम या प्रवंचना का कोई सवाल*

होगा..." जबकि, इस न्यायालय की राय में, एक बार देखने मात्र से अन्यथा प्रकट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही दो प्रतिस्पर्धी चिह्नों के फ़ॉन्ट अलग-अलग हैं, फिर भी, वे समग्र रूप से एक-दूसरे के तद्रूप हैं। किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अन्यथा ठहराने के लिए दिया गया तर्क अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त , यह न्यायालय मानता है कि वर्ग 29 और वर्ग 30 में शामिल उत्पाद कुछ हद तक समान हैं, जो सहबद्ध और सजातीय उत्पाद हैं और चूंकि वे आम तौर पर बाजार में एक ही स्रोत से खरीदे जाते हैं और लगभग एक ही वर्ग के खरीदारों को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के सामान्य रूप से बेचे जाते हैं, इसलिए आम जनता के मन इस भ्रम की पूरी संभावना है कि दोनों प्रतिस्पर्धी चिह्न का एक ही मूल स्रोत है।

16. इस न्यायालय की राय में, यह तथ्य कि अपीलार्थी ने वाद में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित चिह्न का उपयोग *" ... सजातीय और सहबद्ध वस्तुओं के लिए उक्त व्यापारचिह्न शुगरलाइट के उपयोग के विस्तार के वादी के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।"* आने वाले समय में व्यवसाय के विस्तार का इरादा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब उपयोगकर्ता पहले से ही काफी समय से बाजार में हो। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने ***मोंटारी ओवरसीज लिमिटेड बनाम मोंटारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** [11] पर भरोसा करते हुए ***डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम डनलप लुब्रिकेंट कंपनी*** [12]

और ***क्रिस्टलेट ग्रामोफोन रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम ब्रिटिश क्रिस्टलाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** [13] और एक विद्वान एकल पीठ ने भी ***सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग लिमिटेड बनाम सोनाई ईवी प्राइवेट लिमिटेड***[14] के मामले में कहा कि आने वाले समय में एक अनजान ग्राहक के मन में दो प्रतिस्पर्धी चिह्नों के बीच औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मरण का व्यक्ति होने के कारण भ्रम की संभावना होगी। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि अपीलार्थी के पूर्ववर्ती ने वर्ग 30 में व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जिससे इनकार करना अंतरिम आवेदन पर न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए तत्वहीन है, साथ ही इस तथ्य के साथ कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के पूर्ववर्ती के साथ बातचीत कर रहा था जिसके बाद इसे सितंबर 2019 में एक प्रतिविरत नोटिस प्राप्त हुआ और मार्च 2020 तक पत्रों का आदान-प्रदान किया गया, जो विद्वान विचारण न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थे कि अपीलार्थी स्पष्ट रूप से वर्ग 30 के उत्पादों में उद्यम करने में रुचि रखता था। इसके अतिरिक्त, वादी में दिए गए प्रकथन सि.प्र.स. के आदेश VI नियम 1 और 2 में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में थे। इस न्यायालय के मद्देनजर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्यथा निष्कर्ष निकालने के लिए उपरोक्त की अनदेखी करके गंभीर त्रुटि की। इस प्रकार, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत नहीं है जो इसके विपरीत हैं।

17. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ***विष्णुदास (पूर्वोक्त)*** और ***नंदिनी (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा करना गलत है क्योंकि दोनों मामलों में निर्णय उनमें शामिल तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दिए गए थे, यानी ये व्यक्तिगत निर्णय थे और आगे ये निर्णय उन मामलों में दिए गए थे जिनमें आवेदक/रजिस्ट्रार ने एक वर्ग में सभी वस्तुओं या लेखों के लिए व्यापारचिह्न का पंजीकरण प्राप्त किया था, हालाँकि, उक्त आवेदक/पंजीकरणकर्ता कुछ/कुछ विशेष उत्पादों और वस्तुओं को छोड़कर सभी के लिए उक्त व्यापारचिह्न का न तो उपयोग कर रहा था और न ही इसका उपयोग करने का इरादा था। इस न्यायालय की राय में, अपीलार्थी को किसी भी तरह से व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" पर एकाधिकार पाने वाला नहीं कहा जा सकता था। किसी भी स्थिति में, ***विष्णुदास (पूर्वोक्त)*** मामले में न्यायालय एक सुधार याचिका पर विचार कर रहा था, जबकि वर्तमान अपील में यह न्यायालय व्यापारचिह्न के उल्लंघन और पारित करने के एक मुकदमे पर विचार कर रहा है, इस प्रकार बेंचमार्क अलग है और वह लागू नहीं होता है।

18. तथ्यों से आगे पता चलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए अनेक इन्वॉइसेस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसमें उसके द्वारा काफी समय तक व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" की बिक्री और उपयोग दिखाया गया है। इसलिए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी ने "शुगरलाइट" व्यापारचिह्न के प्रचार को दर्शाने

वाले बिक्री और व्यय के आंकड़े नहीं दिए थे। इसके अलावा, इस न्यायालय की राय में, वर्तमान परिदृश्य में उल्लंघन के एक मुकदमे में अंतरिम आवेदन के निर्णय के प्रयोजनों के लिए उक्त आंकड़े आवश्यक नहीं थे, क्योंकि यह परीक्षण चरण नहीं था और यह निर्विवाद था कि अपीलार्थी वर्ग 29 में वैध और मौजूदा व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" का दर्ज पंजीकृत मालिक था और उक्त पंजीकरण को चुनौती नहीं दी गई थी।

19. किसी भी स्थिति में, उपयोग न करने के विवाद को निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, *पहला* यह कि इसका विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कहीं भी अनुरोध नहीं किया गया था, *दूसरा* यह कि अपीलार्थी ने इसके उपयोग को दर्शाते हुए काफी ज्यादा इन्वॉइसेस दायर किए थे और *तीसरा* यह कि प्रत्यर्थी ने आक्षेपित आदेश के पारित होने तक व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के पंजीकरण को कभी चुनौती नहीं दी थी और *चौथा* यह सुस्थापित विधि है कि व्यापारचिह्न का पंजीकरण बिना किसी चुनौती के और बिना किसी निर्णय के उपयोग न करने के कारण स्वचालित रूप से निर्वापित नहीं होता है, क्योंकि उस सुधार याचिका को इस न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीनता रहने के दौरान देर से दायर किया गया है। **ठुकराल *मैकेनिकल वर्क्स बनाम पी.एम. डीजल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** [15] मामले मे विश्वास जताया गया है, जिसे समय-समय पर ***भारत संघ बनाम मल्होत्रा बुक डिपो*** [16]***, एक्साइड टेक्नोलॉजीज बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड***

और ***अन्य*** [17] ***और डी.भास्करन बनाम*** **व्यापारचिह्न *के उप-रजिस्ट्रार और अन्य*** [18] के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुसरण किया गया है।

20. इसी प्रकार, इस न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए टीएम अधिनियम की धारा 2 (यछ) के तहत अपीलार्थी के व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के एक प्रसिद्ध व्यापारचिह्न होने की कोई प्रासंगिकता नहीं दिखती है। क्योंकि यह उल्लंघन के वाद में अंतरिम आवेदन के निपटान के चरण में निर्णय के लिए अप्रासंगिक था। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के व्यापारचिह्न "शुगरलाइट" के समान चिह्न "शुगरलाइट" को अपनाने और उपयोग करने का कार्य, भले ही एक अलग वर्ग में हो, परंतु यह आत्मविश्वास नहीं दर्शाता है।

21. इसी प्रकार, इस न्यायालय की राय में, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख का हिस्सा न होने के कारण समनुदेशन पत्र के अस्तित्व का कोई परिणाम नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी ने सि.प्र.स. के *आदेश VI नियम 2 और 4* के प्रावधानों का पालन किया था और यह इस स्तर पर अंतरिम आवेदन के निर्णय के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था।

22. तथापि, यह न्यायालय इस निष्कर्ष के अनुरूप है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की ओर से देरी/अड़चनों/उप्मती के कारण किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिलेखों से पता चलता है कि अपीलार्थी 2018 से लेकर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद की स्थापना तक सभी चरणों में

बातचीत और अपने रुख/मामले का लगन से पालन कर रहा था, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी को हमेशा सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती थी। इस न्यायालय के अनुसार, अपीलार्थी को उपरोक्त के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

23. उपरोक्त तर्क और तथ्यात्मक निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि पक्षों के लिए और उनकी ओर से उद्धृत निर्णयों में कानूनी मुद्दों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

24. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय, अपीलार्थी के लिए लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों से सहमत होने पर, यह राय रखता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से, विचित्र और विकृत रूप से, रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ विवादित आदेश पारित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय विवादित आदेश के तर्क या निष्कर्षों से सहमत नहीं है क्योंकि वे स्वीकार्य नहीं हैं। स्थापित कानून के अनुसार, न्यायालय विवादित आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार के भीतर है, हालांकि, केवल असाधारण परिस्थितियों में जहां यह महसूस किया जाता है/आवश्यक है। इस न्यायालय की राय में, यह एक असाधारण परिस्थिति का ऐसा मामला है जिसमें अपील के स्तर पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है क्योंकि विवादित आदेश

पेटेंट अवैधता से पीड़ित है। ***वांडर लिमिटेड एन्ड अन्य बनाम एंटोक्स इंडिया पी. लिमिटेड*** [19] ***, रामदेव फूड प्रोडक्ट्स (पी) प्राइवेट लिमिटेड बनाम अरविंदभाई रामभाई पटेल और अन्य*** [20] ***और स्काईलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस.एल. वासवानी और अन्य*** [21] *के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि* अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप असाधारण परिस्थितियों में उचित है। इसे ***वांडर (पूर्वोक्त)*** में निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः-

> *"14. खण्ड पीठ के समक्ष अपील एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ थी। ऐसी अपीलों में, अपील न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने स्वयं के विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करेगा, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, या मनमौजी या विकृत रूप से किया गया है या जहां न्यायालय ने अंतर्वर्ती निषेधाज्ञाओं के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले कानून के तय किए गए सिद्धांतों की अनदेखी की है। विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ अपील को सैद्धांतिक रूप में अपील कहा जाता है। अपीलीय न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा यदि उस न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था।"*

25. तदनुसार, पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय को आवेदन, यदि कोई हो, के साथ वर्तमान अपील को स्वीकार करने और विद्वान विचारण न्यायालय के 8 जनवरी, 2023 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं

है, जिससे पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

न्या. सौरभ बनर्जी

न्या. मनमोहन

12 मई, 2023
एकेआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*